## हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से कराएंगे मुक्त

जोधपुर, 29 जुलाई (वेबवार्ता)। हिंदू मंदिरों को मुक्त करना जरूरी है। हम उन सरकारों के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे जो अभी भी मंदिरों को अपने अधीन रखे हुए हैं। यह कहना है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का। वे जोधपुर में हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारी बैठक में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया- विश्व हिंदू परिषद के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष में हुए कार्यक्रम में देशभर से केंद्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। हमने बैठक में फैसला लिया है कि इस साल के समापन पर देश के सभी 9 हजार प्रखंडों में बड़े हिंदू सम्मेलन करेंगे। हिंदू समाज को हिंदू होने और जीवन मूल्य के बारे में बताएंगे। इसके अलावा CAA के प्रावधानों को भी ठीक से लागू करवाएंगे। देश में हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा- हम मानते हैं कि मंदिरों को मुक्त करना जरूरी है।

## आयुष्मान योजना में 31 से पहले कराएं रजिस्ट्रेशन

जोधपुर, 29 जुलाई (वेबवार्ता)। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का अगस्त माह से लाभ लेने के लिए पंजीयन करवाने के लिए अब अंतिम दो दिन शेष हैं। इस माह 31 जुलाई तक पंजीकरण नहीं करवाने वाले परिवारों को योजना का लाभ लेने के लिए तीन माह का इंतजार करना पड़ेगा। योजना में जिले के सभी वंचित परिवार स्वयं की एसएसओ आईडी या ई-मित्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, ताकि एक अगस्त 2024 से योजना का लाभ मिल सके।

25 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर ग्रामीण डॉ. प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया सरकार की उद्देश्य है प्रदेश के प्रत्येक परिवार को इस योजना में पंजीयन करवा कर आगामी दिनों में इलाज के भारी-भरकम खर्च और चिंताओं से मुक्त हो सके। पंजीयन करवाने के बाद उन्हें व परिवारजनों को 25 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज मिल सकेगा। साथ ही 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी निशुल्क मिलेगा। योजना डीपीसी डॉ. अलका राजपुरोहित ने बताया कि योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011, लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मियों तथा कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों के लिए बीमा का प्रीमियम सरकार वहन कर रही है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर श्रद्धुस्र परिवारों (वार्षिक आय 8 लाख से कम) के लिए बीमा का प्रीमियम भी सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

ऐसे सभी परिवारों का पंजीकरण स्वत: ही हो रहा है। इसके अतिरिक्त, अन्य सभी परिवार मात्र 850 रुपए प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे परिवारों को 31 जुलाई तक पंजीकरण करवा लेना चाहिए ताकि 1 अगस्त से लाभ मिल सके, क्योंकि इसके बाद नियमानुसार तीन माह बाद यानी 1 नवंबर से लाभ मिल सकेगा।

## पति से झगड़े के बाद तालाब में कूदी विवाहिता

जोधपुर, 29 जुलाई (वेबवार्ता)। भीतरी शहर स्थित पदमसर में एक विवाहिता ने पति से कहासुनी के बाद कूद कर जान दे दी। पदमसर पर किसी ने चप्पल पड़े होने की सूचना पुलिस को दी थी, इस पर पुलिस पदमसर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। इससे पहले पति ने पत्नी की गुमशुदगी दर्ज करवा रखी थी। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव को ससुराल पक्ष को सौंपा मृतक विवाहिता की मां ने दामाद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। चप्पल से हुई पहचान खांडा फलसा थाने की एसआई देऊ ने बताया कि नवचौकिया निवासी गोपाल सोनी ने शनिवार रात करीब 11 बजे पत्नी चंद्रकांता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया कि वह बिना बताए घर से कहीं चली गई है। रात करीब 12 बजे के करीब सूचना मिली कि पदमसर के किनारे किसी महिला की चप्पल पड़ी है। पुलिस गोपाल सोनी को भी मौके पर ले गई। तब उन्होंने यह चप्पल अपनी पत्नी का होना बताया।

## विदेश मंत्रियों की बैठक में बोले जयशंकर, बड़ी-बड़ी बातें करने का नहीं, व्यावहारिक परिणाम का है ये मंच

टोक्यो, 29 जुलाई (का.सं.)। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि भारत में 1,400 जापानी व्यवसाय

चल रहे हैं। हम इस संख्या को बढ़ते देखना चाहते हैं, हमने 2027 तक ¥5 ट्रिलियन यानी $42 बिलियन का निवेश लक्ष्य रखा है। जापानी कंपनियों ने कई मायनों में भारत में ऑटोमोबाइल क्रांति को गति दी। यह साझेदारी मेट्रो के प्रसार के लिए कारण थी। हम अभी एक महत्वपूर्ण हाई-स्पीड रेलवे परियोजना में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से सेमीकंडक्टर, एआई या ईवी और ग्रीन एनर्जी जैसी वैश्विक प्राथमिकताएँ हमारे साथ काम करने के लिए बहुत संभावनाएँ प्रदान करती हैं...ये आज द्विपक्षीय और क्वाड दोनों में हमारी बातचीत का केंद्र बिंदु हैं क्योंकि इनका बड़ा निहितार्थ है। हमारे व्यापारिक समुदायों के गहन नेटवर्किंग से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा, जिसे हम बढ़ावा देना चाहेंगे।

टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में जयशंकर ने कहा कि क्वाड लंबे समय तक टिकने, काम करने और आगे बढ़ने के लिए है। क्वाड के सदस्य देशों के बीच सहयोग यह सुनिश्चित कर सकता है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र स्वतंत्र, खुला, स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध बना रहे। राजनैतिक लोकतंत्र, बहुलवादी समाज और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होने के नाते क्वाड देशों पर अतिरिक्त महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। क्वाड बड़ी-बड़ी बातें करने का नहीं, बल्कि व्यावहारिक परिणाम उत्पन्न करने का मंच है। क्वाड विश्वसनीय साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का शानदार समकालीन उदाहरण है। क्वाड देश मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र, नियम-आधारित व्यवस्था और वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मैं 'क्वाड' समूह के निरंतर आगे बढ़ने में उनके मार्गदर्शन की सराहना करता हूं तथा भारत-जापान संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के बारे में उनके विचारों को महत्व देता हूं। भारत समेत 'क्वाड' (चतुष्क्षीय सुरक्षा संवाद) के सदस्य देशों ने सोमवार को स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत को लेकर अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश पर हावी नहीं होना चाहिए तथा प्रतिस्पर्धा का जिम्मेदारी से प्रबंधन किया जाना चाहिए।

## बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाये जाने की मुहीम से जुड़े लाखों स्थानीय निवासी, केंद्र के सामने फिर रखी अलग राज्य की मांग

भोपाल/लखनऊ, 29 जुलाई, 2024= लगभग 70 सालों से बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाये जाने की मुहीम चल रही है। समय-समय पर अलग-अलग सामाजिक संगठनों व व्यक्ति विशेषों द्वारा भारतीय मानचित्र पर बुंदेलखंड को पुन: अस्तित्व में लाने की मांग जोर पकड़ती रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई सकारात्मक हल नहीं निकला है।

बुंदेलखंड के लोकप्रिय डिजिटल न्यूज़ प्लेटफार्म बुंदेलखंड 24×7 ने लगभग एक माह पूर्व बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाये जाने के संघर्ष को फिर से जीवित करने का कार्य किया, और 5 लाख हस्ताक्षर अभियान के तहत बुंदेलखंड वासियों की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया। अभियान का समापन देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर किया गया, जिसके तहत 5 लाख से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने के पक्ष में अपने हस्ताक्षर दर्ज किए। अभियान के तहत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पिछले हिस्सों में फैले बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी जिलों में जमीनी स्तर पर स्थानीय लोगों से पृथक राज्य को लेकर उनकी सहमति दर्ज की गई। इसमें बुंदेलखंड को पृथक किए जाने की मुखर आवाज रहे बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष व अभिनेता राजा बुंदेला, बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हरिमोहन विश्वकर्मा, बुंदेली सेना के संयोजक आश्रय सिंह जैसे अन्य सामाजिक सदस्यों व आम जनता ने अपनी सहमति जाहिर की। अभियान को लेकर छतरपुर निवासी सुरेश तिवारी ने कहा, हम उत्तराखंड, झारखण्ड व छत्तीसगढ़ की तरह बुंदेलखंड को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए सालों से संघर्षरत हैं। चैनल की मुहीम से जुड़कर हमने एक बार फिर अपनी आवाज सत्तापक्ष तक पहुँचाने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि केंद्र व राज्य सरकारें इस दिशा में अवश्य जल्द ही फैसला लेंगी।

अभियान की सफलता पर बोलते हुए बुंदेलखंड 24×7 के फाउंडर मलिकराम ने कहा, हमारा प्रमुख उद्देश्य केंद्र सरकार के समक्ष दशकों से चली आ रही पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को मजबूती से पेश करना तथा इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित करना था। यह साफ है कि बुंदेलखंड के लोग एक अलग राज्य चाहते हैं, और एक स्वतंत्र, सफल व समृद्ध बुंदेलखंड के स्वप्न को साकार होते देखने के लिए उत्साहित हैं।

## केजरीवाल ही हैं शराब नीति घोटाले के सूत्रधार, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में क्या-क्या कहा

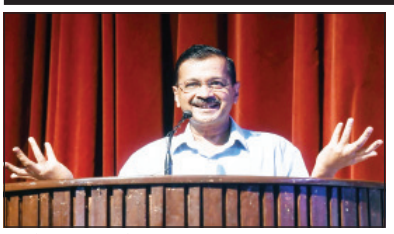

नई दिल्ली, 29 जुलाई (का.सं.)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले का सूत्रधार कहा। विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह द्वारा प्रस्तुत सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को तभी गिरफ्तार किया जब उनके खिलाफ ठोस सबूत मिलने लगे। दिल्ली उच्च न्यायालय, जो नियमित जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। डीपी सिंह ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी को सबूत मिले हैं. उन्होंने कहा कि कई लोग सामने आने लगे, जिनमें आप कार्यकर्ता भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि एजेंसी आप प्रमुख को गिरफ्तार किए बिना अपनी जांच पूरी नहीं कर सकती थी। वकील ने कहा कि सीबीआई के पास घोटाले में अरविंद केजरीवाल की सीधी संलिप्तता साबित करने वाले सबूत हैं। उन्होंने कहा कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद भी मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एजेंसी ने गिरफ्तारी के बाद से मुख्यमंत्री से पूछताछ नहीं की है, सिवाय उस समय के जब वह पुलिस रिमांड में थे। उन्होंने कहा कि एजेंसी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल अकेले नहीं थे जो उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण या कार्यान्वयन में शामिल थे, बल्कि यह एक संस्थागत निर्णय था जिसमें एलजी और नौ मंत्रालयों सहित कम से कम 50 नौकरशाह शामिल थे।

## मनचले के पिता को भाई ने दोस्तों संग मिलकर पीटा

जोधपुर, 29 जुलाई (वेबवार्ता)। जोधपुर ग्रामीण की शेरगढ़ थाना पुलिस ने जानलेवा हमले करने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बहन को अश्लील मैसेज भेजने से नाराज थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए आरोपी भागने लगे इसी दौरान गिरने की वजह से उन्हें चोट लग गई। आरोपी पीड़ित के बेटे के द्वारा अपनी बहन को अश्लील मैसेज भेजना और उसके मंगेतर को भी धमकी देने से नाराज थे इसलिए उसके पिता के साथ मारपीट की। बता दें कि 27 जुलाई को प्रार्थी पेपर राम पुत्र के बलराम मेघवाल निवासी बावड़ी से कला ने मामला दर्ज करवाया था। बताया कि वह घर से अपनी कैंपर गाड़ी लेकर सेखाला बैंक में जाने के लिए निकला था। इस दौरान सेखाला गांव जाने वाली रोड पर 2 किलोमीटर दूर पहुंचा तो गांव की तरफ से सामने से एक बिना नंबरी कैंपर आई और उसकी गाड़ी के आगे रोक दी। वह कुछ समझ पाता है उससे पहले ही उस गाड़ी से तीन आदमी नीचे उतरे और लोहे के सरियों से उसके साथ मारपीट करने लग गए। जान से मारने की नीयत से उसके हाथ पैर तोड़ दिए। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने विक्रम सिंह की बहन को प्रार्थी पेपाराम के बेटे द्वारा अश्लील मैसेज भेजना और जिस लड़के से आरोपी विक्रम सिंह की बहन की सगाई हो रखी थी उसको प्रार्थी के बेटे द्वारा धमकी देने से नाराज होकर घटना कारित करना पाया गया। इस मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पर विक्रम सिंह पुत्र गोपाल सिंह राजपूत निवासी रायसर और भवानी सिंह पुत्र राम सिंह राजपूत निवासी रायसर पुलिस थाना शेरगढ़ को गिरफ्तार किया।

## दिल्ली कोचिंग दुर्घटना के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली, 29 जुलाई (वेब वार्ता)। राज्यसभा ने दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में छात्रों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पूरी घटना की समग्रता से जांच की जानी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

सदन में प्राधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण हाल में ही दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में छात्र और छात्राओं की दुखद मृत्यु की घटना पर अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीवर और जल निकासी की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और दिल्ली नगर निगम की है। स्थानीय सरकार और उसके मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक छात्र ने संबंधित कोचिंग संस्थान के बारे में अधिकारियों को दो महीने तक शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी। उन्होंने कहा कि हजारों कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय भवनों तहखानों में चल रहे हैं। यह सब भ्रष्टाचार के कारण चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान की यह दुर्घटना प्रशासनिक हत्या है। संबंधित अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ब्रायन ने कहा कि ऐसी घटनाओं के संबंध में गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। देश में कोचिंग संस्थानों के कारण बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को इन्हें नियंत्रित करने की दिशा में बढ़ना चाहिए।

आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि यह घटना पुराने गुनाहों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अधिकारी मंत्रियों के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की मृत्यु की घटना की पूरी जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

द्रविड मुनेत्र कषगम के तिरुचि शिवा ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के कारण देश भर में छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीट प्रणाली की समीक्षा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों में प्रवेश स्थानीय स्तर पर होने चाहिए।


THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA

Dhariwal CORP LIMITED

# DHARIWALCORP LIMITED

CIN: U24242RJ2020PLC069105

Our Company was originally incorporated under the name *"Dhariwalcorp Private Limited"* under the provisions of the Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation dated June 14, 2020, issued by the Assistant Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the status of the Company was changed to public limited and the name of our Company was changed to *"Dhariwalcorp Limited"* vide Special Resolution passed by the Shareholders at the Extra Ordinary General Meeting of our Company held on April 01, 2024. The fresh certificate of incorporation consequent to conversion was issued on May 04, 2024, by Assistant Registrar of Companies/ Deputy Registrar of Companies/ Registrar of Companies, Centralized Processing Centre. The Corporate Identification Number of our Company is U24242RJ2020PLC069105.For further details, please refer to chapter titled *"History and Corporate Structure"* beginning on page 141 of the Red Herring Prospectus.

**Registered Office:** 36, Narayan Nagar, Shobhawaton ki dhani, Pal Link Road, Jodhpur – 342001, Rajasthan, India;
**Tel No:** + 91 70141 31630 | **E-mail:** investor@dhariwalcorporation.com | **Website:** www.dhariwalcorporation.com;
**Contact Person:** Ms. Saloni Kachhawaha, Company Secretary and Compliance Officer

**THE PROMOTERS OF OUR COMPANY ARE MR. MANISH DHARIWAL, MS. SHAKSHI DHARIWAL AND MR. DILIP DHARIWAL**

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON EMERGE PLATFORM OF NSE (NSE EMERGE)."

## THE ISSUE

**INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 23,72,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF DHARIWALCORP LIMITED ("OUR COMPANY" OR "DHARIWALCORP" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH UPTO 1,23,600 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E., NET ISSUE OF UPTO 22,48,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE [●]% AND [●]% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.**

| ISSUE PROGRAMME | |
|---|---|
| | ANCHOR BID OPENS ON WEDNESDAY, JULY 31, 2024 |
| | OPENS ON: THURSDAY, AUGUST 01, 2024 |
| | CLOSES ON: MONDAY, AUGUST 05, 2024 |

## ADDENDUM TO RED HERRING PROSPECTUS DATED JULY 25, 2024 ("RHP") NOTICE TO INVESTORS (THE "ADDENDUM TO THE RHP")

### ALLOTMENT PROCEDURE AND BASIS OF ALLOTMENT

The Allotment of Equity Shares to Bidders other than Retail Individual Investors and Anchor Investors may be on proportionate basis. For Basis of Allotment to Anchor Investors, Bidders may refer to Red Herring Prospectus. No Retail Individual Investor will be Allotted less than the minimum Bid Lot subject to availability of shares in Retail Individual Investor Category and the remaining available shares, if any will be Allotted on a proportionate basis.

**Flow of Events from the closure of bidding period (T DAY) Till Allotment:**

- On T Day, RTA to validate the electronic bid details with the depository records and also reconcile the final certificates received from the Sponsor Bank for UPI process and the SCSBs for ASBA and Syndicate ASBA process with the electronic bid details.
- RTA identifies cases with mismatch of account number as per bid file / Final Certificate and as per applicant's bank account linked to depository demat account and seek clarification from SCSB to identify the applications with third party account for rejection.
- Third party confirmation of applications to be completed by SCSBs on T+1 day.
- RTA prepares the list of final rejections and circulate the rejections list with BRLM(s)/ Company for their review/ comments.
- Post rejection, the RTA submits the basis of allotment with the Designated Stock Exchange (DSE).
- The Designated Stock Exchange (DSE), post verification approves the basis and generates drawal of lots wherever applicable, through a random number generation software.
- The RTA uploads the drawal numbers in their system and generates the final list of allotees as per process mentioned below:

**Process for generating list of allotees: -**

- Instruction is given by RTA in their Software System to reverse category wise all the application numbers in the ascending order and generate the bucket /batch as per the allotment ratio. For example, if the application number is 78654321 then system reverses it to 12345687 and if the ratio of allottees to applicants in a category is 2:7 then the system will create lots of 7. If the drwal of lots provided by Designated Stock Exchange (DSE) is 3 and 5 then the system will pick every 3rd and 5th application in each of the lot of the category and these applications will be allotted the shares in that category.
- In categories where there is proportionate allotment, the Registrar will prepare the proportionate working based on the oversubscription times.
- In categories where there is undersubscription, the Registrar will do full allotment for all valid applications.
- On the basis of the above, the RTA will work out the allotees, partial allotees and non- allottees, prepare the fund transfer letters and advice the SCSBs to debit or unblock the respective accounts.

Accordingly, the chapter ***"Issue Procedure"*** on page 218 of RHP shall stand updated accordingly.

Further, the RHP dated July 25, 2024 filed with ROC, can be accessed through the link on the website of Shreni Shares Limited at www.shreni.in from the website of Dhariwalcorp Limited at www.dhariwalcorporation.com, from the website of Stock Exchange i.e. NSE at www.nseindia.com and from the website of SEBI at www.sebi.gov.in

The above addition is to be read with the RHP and accordingly their references in the RHP stand amended pursuant to this Addendum to the RHP. The information in this Addendum to the RHP supplements the RHP and updates the information as applicable. However, please note that this Addendum does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the RHP and date hereof, and the information included in the RHP will suitably updated, including to the extent stated in the Addendum to the RHP, as may be applicable in the Prospectus, as and when filed with the ROC, SEBI and Stock Exchange.

All capitalized terms used in this Addendum to the RHP shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the RHP.

| BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE | REGISTRAR TO THE ISSUE | COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER |
|---|---|---|
| SHRENI SHARES LTD.<br>**SHRENI SHARES LIMITED**<br>***(FORMERLY KNOWN AS SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED)***<br>No. 217, Hive 67 Icon, Poisar Gymkhana Road, Lokmanya Tilak Nagar Poisar, Near Raghuleela Mall, Kandivali West, Mumbai - 400067, Maharashtra, India.<br>**Telephone:** 022 - 2089 7022<br>**E-mail:** shrenishares@gmail.com<br>**Investors Grievance e-mail:** info@shreni.in<br>**Contact Person:** Ms. Tanya Goyal<br>**Website:** www.shreni.in<br>**SEBI Registration Number:** INM000012759 | **BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED**<br>Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai – 400 093, Maharashtra, India.<br>**Telephone:** 022 - 6263 8200<br>**E-mail:** ipo@bigshareonline.com<br>**Investor Grievance E-mail:** investor@bigshareonline.com<br>**Website:** www.bigshareonline.com<br>**Contact Person:** Mr. Vinayak Morbale<br>**SEBI Registration Number:** INR000001385 | **Ms. Saloni Kachhawaha, Company Secretary and Compliance Officer**<br>36, Narayan Nagar, Shobhawaton ki dhani, Pal Link Road, Jodhpur – 342001, Rajasthan, India<br>**Telephone:** +91 70141 31630<br>**E-mail:** investor@dhariwalcorporation.com<br>**Website:** www.dhariwalcorporation.com<br>Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post- issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted shares in the respective beneficiary account, etc. |

**For Dhariwalcorp Limited**
**Sd/-**
**Mr. Manish Dhariwal**
**Designation: Chairman & Managing Director**
**DIN:** 08762566

**Date:** July 29, 2024
**Place:** Jodhpur, Rajasthan

**Dhariwalcorp Limited** is proposing, subject to market conditions and other considerations, public issue of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus with the Registrar of Companies, Jaipur, Rajasthan on July 25, 2024. The Red Herring Prospectus is available on the website of the Book Running Lead Manager at www.shreni.in, the website of the NSE i.e., www.nseindia.com, and website of our Company at www.dhariwalcorporation.com

Investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Red Herring Prospectus, including the section titled "Risk Factors" of the Red Herring Prospectus, which has been filed with ROC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act ("the Securities Act") or any state securities laws in United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulations under the securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act of 1933.

AdBaaz


स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए माणक ऑफसेट प्रिन्टर्स, एम.जी.एच. रोड, जोधपुर से मुद्रित व प्लॉट नं. 104, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जयश्री स्कूल के पास, जोधपुर से प्रकाशित। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेंगे। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णत: व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबन्धित है। सम्पादक–युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई–मेल: yuvrajsinghh@gmail.com